

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 1129 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 07 / 12 / 2015)

म.प्र. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. नवल किशोर पुत्र राम सिंह जाटव उम्र 40 वर्ष।

निवासी :- इन्द्रावास कॉलोनी तुकेड़ा मालनपुर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 07 / 03 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त नवल किशोर पर धारा — 279 एवं 338 भा.द.सं. की धारा के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 22/08/2015 को शाम लगभग 08:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक : 22/08/2015 को शाम लगभग 08:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा लोकमार्ग पर, मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रदीप द्वारा दिनांक : 28/09/2015 को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत प्रदीप के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 को जब्त

कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। वाहन मालिक/आरोपी नवल किशोर का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी प्रदीप, साक्षी जसपाल सिंह एवं रितुराज के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त नवल किशोर के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी नवल किशोर ने दिनांक :- 22/08/2015 को शाम लगभग 08:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी प्रदीप सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 22/08/2016 की समय 07-08 बजे की है। वह मालनपुर से अपने ढावे चक तुकेड़ा जा रहा था। तभी गुरीखा चौराहा पर वह अपनी तरफ आ रहा

था, तभी सामने से आ रही मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 काफी स्पीड और लापरवाही से चलकर आई और उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर, कंधा, घुटना एवं रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने फोन करके रितुराज एवं जसपाल को बुलाया था, फिर ग्वालियर बिरला अस्पताल ईलाज के लिए गये थे, फिर वहां से सर गंगाराम दिल्ली रैफर किया गया, वहाँ उसका इलाज चला, फिर वहाँ से लौटकर उसने रिपोर्ट की थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय मोटर साईकिल कौन चला रहा था, अंधेरा होने से उसने नहीं देख पाया था। साक्षी आगे कहता है कि वहाँ मौजूद लोगों ने उसे बताया था कि चालक नवलकिशोर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी प्रदीप सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जसपाल एवं रितुराज मौके पर खड़े थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर, उसने ऐसा कथन देने से इन्कार किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रदीप अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे जिस मोटर साईकिल से टक्कर लगी उसका नम्बर उसे रितुराज एवं जसपाल ने बताया था। जबकि प्रदीप अ.सा.01 द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का क्रमांक एम.पी.07/एम.पी./3340 उसे साक्षी रितुराज अ.सा.02 एवं जसपाल अ.सा.03 ने बताया था। रितुराज अ.सा.02 एवं जसपाल अ.सा.03 ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार आहत प्रदीप अ.सा.01 को दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का नम्बर स्वयं पता था, अथवा उसे साक्षी रितुराज अ.सा.02 एवं साक्षी जसपाल अ.सा.03 ने बताया था, इस वावत् प्रदीप अ.सा.01, साक्षी रितुराज अ.सा.02 एवं जसपाल अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रदीप अ.सा.01 के द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रदीप अ.सा.01 का कहना है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल चालक को देखा नहीं था, जब वह रिपोर्ट करने आया था, तब उसे पता चला था कि मोटर साईकिल को आरोपी नवल किशोर चला रहा था। उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट करते समय फरियादी प्रदीप अ.सा.01 को दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी नवल किशोर के नाम की जानकारी थी, तब उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 आरोपी नवल किशोर के विरुद्ध नामजद क्यों नहीं की गई, इस वावत् प्रदीप अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है। साक्षी आगे कहता है कि अंधेरा होने के कारण दुर्घटनाकारित करने

वाली मोटर साईकिल की स्पीड नहीं बता सकता। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि सामने वाली अर्थात् दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल काफी तेजी से चल रही थी। उल्लेखनीय है कि दुर्घटनास्थल राजमार्ग है और राजमार्ग पर मात्र तेजी से वाहन चलाना कोई अपराध घटित नहीं करता है, जब तक की वह गति निर्धारित गति सीमा से अधिक ना हो। प्रदीप अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय अंधेरा था और कोई डम्पर निकला था, जिसकी तेज रोशनी में चकाचौंध में एक्सीडेंट हो गया था। इससे यह प्रकट होता है कि जिस दुर्घटना में आहत प्रदीप घायल हुआ, उसमें संभवतः दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक की भी कोई त्रुटि नहीं थी। इस प्रकार प्रदीप अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नवल किशोर के पहचान संबंधी एवं दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 07 / एम.एफ. / 3340 होने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

11. साक्षी रितुराज सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/08/2016 से लगभग एक साल पहले की होकर रात्रि आठ-आठे आठ बजे की मालनपुर में गुरीखा चौकी के पास की है। उस दिन आहत प्रदीप सिंह का मोटर साईकिल से एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि प्रदीप को किस वाहन ने टक्कर मारी थी, उसे नहीं मालूम। उसे जसपाल का फोन आया था कि प्रदीप जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह घटनास्थल पर पहुँचा और उसने देखा कि प्रदीप जीजा जी गिरे हुये थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ घटनास्थल पर जसपाल भी पहुँचा था। वह एवं जसपाल प्रदीप जीजा जी को लेकर ईलाज कराने बिरला हॉस्पिटल गये थे। उस समय पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी रितुराज अ.सा.02 ने उसके एवं साक्षी जसपाल अ.सा.03 के सामने मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.एफ. / 3340 के चालक द्वारा उक्त मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप अ.सा.01 की मोटर साईकिल में टक्कर मारने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् पुलिस कथन प्र.पी.04 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जान पर ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रितुराज अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब प्रदीप का एक्सीडेंट हुआ, तब वह एवं जसपाल मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि उक्त एक्सीडेंट किसके द्वारा और किस प्रकार कारित किया गया। इस प्रकार साक्षी रितुराज अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नवल किशोर के पहचान संबंधी एवं दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.एफ. / 3340 होने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

12. साक्षी जसपाल अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/08/2016 से लगभग एक साल पहले की होकर रात्रि आठ-आठे आठ बजे की मालनपुर में गुरीखा चौकी के पास की है। उस दिन आहत प्रदीप सिंह का मोटर साईकिल से एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि प्रदीप को किस वाहन ने टक्कर मारी थी, उसे नहीं मालूम। उसे रक्षपाल का फोन आया था कि प्रदीप जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, तब वह घटनास्थल पर पहुँचा और उसने देखा कि प्रदीप जीजा जी गिरे हुये थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ घटनास्थल पर ऋतुराज भी पहुँचा था। वह एवं ऋतुराज प्रदीप जीजा जी को लेकर ईलाज कराने बिरला हॉस्पिटल गये थे। उस समय पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी जसपाल अ.सा.03 ने उसके एवं साक्षी रितुराज अ.सा.02 के सामने मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 के चालक द्वारा उक्त मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप अ.सा.01 की मोटर साईकिल में टक्कर मारने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् पुलिस कथन प्र.पी.05 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जान पर ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में जसपाल अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब प्रदीप का एक्सीडेंट हुआ, तब वह एवं रितुराज मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि उक्त एक्सीडेंट किसके द्वारा और किस प्रकार कारित किया गया। इस प्रकार साक्षी जसपाल अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नवल किशोर के पहचान संबंधी एवं दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 होने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

13. प्रकरण में विवेचना के दौरान वाहन मालिक/आरोपी नवल किशोर का इस वावत् प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन कौन चला रहा था, तो उसके द्वारा उक्त प्रमाणीकरण में व्यक्त किया गया कि दुर्घटना के समय वह अपनी मोटर साईकिल स्वयं चला रहा था। चूँकि वाहन मालिक नवल किशोर प्रकरण में स्वयं आरोपी था, इसलिए उसे विवेचक द्वारा साक्षी के रूप में साक्ष्य सूची में अंकित नहीं किया गया। यह सुस्थापित संवैधानिक विधि है कि किसी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय द्वारा आरोपी नवल किशोर को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आहूत नहीं किया।

14. अभियोजन द्वारा इस बावत् कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी नवल किशोर ने दिनांक : 22/08/2015 को शाम लगभग 08:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 को उपेक्षा या उतावलेपन से

चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी नवल किशोर ने दिनांक : 22/08/2015 को शाम लगभग 08:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ गुरीखा चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 07/एम.एफ./3340 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत प्रदीप को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

16. अभियोजन आरोपी नवल किशोर के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एफ./3340 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी नवल किशोर के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद